From no 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी — मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....................मुखीराम.......... बनाम अनिल कुमार..

किस्म मुकदमा :- 212 R.T.Act — नंबर ....64.... वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ग्राम जाजोता में ख.न. 536, रकबा 1.0733 हैक्टे. ख.न. 540 रकबा 1.3330 हैक्टे. स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात में रेकर्ड में दर्ज हिस्से-अनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर आये दिन दोनों पक्षों के बीच विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम [illegible] सुविधा का संतुलन [illegible] के पक्ष में सिद्ध होते हैं। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 42 राज० काश्त० अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

02.5.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:57 IST
Reason: SelfAttested